


THE CONSTITUTION OF
INDIA
PREAMBLE



मूल कर्तव्य
(Fundamental Duties)

मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

- भाग 4(A) - अनुच्छेद 51(A)
- सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पद
- प्रेरणा - USSR से (पूर्व सोवियत संघ)
- Not Enforcable by Court of Law प्रवर्तनीय



- ❑ जापान एकमात्र लोकतन्त्रात्मक देश जिसके संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान।
- ❑ स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्य बताये थे


↓
42 CAA, 1976 - 10 मूल कर्तव्य

↓
86th CAA, 2002

↓
11 मूल कर्तव्य



- ❑ हालांकि स्वर्ण सिंह समिति की 3 मूल कर्तव्यों की सिफारिश को अपनाया नहीं गया-
- 1. मूल कर्तव्य का पालन न करने पर दण्डात्मक प्रावधान
- 2. ऐसा कानून को न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जाएगा।
- 3. कर देना (Duty to Pay Taxes)



INDIAN POLITY

**Swaran Singh
Committee**

COMMITTEE

11 मूल कर्तव्य

संविधान का अनुच्छेद	प्रावधान
51 A(a)	संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
51A(b)	उन महान आदर्शों को संजोना और उसका पालन करना, जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया।
51A(c)	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
51A(D)	देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना।

11 मूल कर्तव्य

संविधान का अनुच्छेद	प्रावधान
51A(e)	भारत के सभी लोगों के बीच धिर्मक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।
51A(f)	हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना।
51A(g)	वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना।

11 मूल कर्तव्य

संविधान का अनुच्छेद	प्रावधान
51A(h)	ज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना।
51A(i)	सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
51A(j)	व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे।

11 मूल कर्तव्य

संविधान का अनुच्छेद	प्रावधान
51A(k)	ता-पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य, छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच (86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया) के मामलों में

↓
संविधान समीक्षा अयोग (NCRWC), 2002
↓
अध्यक्ष - M.N.वेंकट चैलेया

नोट - 1. कर भुगतान (Pay Taxes) 2. मतदान करना } → मूल कर्तव्य नहीं है।